

## जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक :- 863-65

दिनांक :- 10/6/2020

श्रीमान उप वन संक्षक,  
भरतपुर ।

विषय :- मलाह हैड वर्क्स से सेवर फोर्ट एवं सेवर फोर्ट से डिपो एरिया, कंजौली लाइन एम्युशन डिपो तक डीआई पाइप लाइन हेतु वन विभाग की एन.ओ.सी. बाबत।

सन्दर्भ :- आपका ऑनलाइन आक्षेप दिनांक 5.6.2020

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाये जा रहे हैं :-

1. प्रस्तुत प्लान में प्रत्येक पृष्ठ को प्रमाणित कर दिया गया है।
2. एन.एच.ए.आई. की परमिशन के लिये आवेदन किया हुआ है प्रक्रिया विचाराधीन है। एन.एच.ए.आई. की परमिशन मिलने के बाद ही पाइप लाइन का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
3. उक्त कार्य पुरानी पाइप लाइन बदलने का कार्य है जिससे एम.ई.एस. व कंजौली लाइन डिपो क्षेत्र व एम्युशन डिपो में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी ही लाभान्वित है इसके साथ ही उक्त पाइप लाइन से आयुध भण्डारण डिपो में पानी लिया जाता है।
4. Full GT sheat with GPS coordinator list संलग्न है।
5. श्रीमान उप वन संरक्षक (वन्य जीव) केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर से प्रोजेक्ट ESZ में आता है या नहीं हेतु प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त किये जा रहे हैं।
6. FRA (वनाधिकार) प्रमाण पत्र हेतु श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर को पत्र लिख दिया गया है। FRA की कार्यवाही सन्दर्भित स्वीकृति से पूर्व प्राप्त कर ली जावेगी। वर्तमान में प्रस्तावों में FRA की अन्डरटेकिंग दी हुई है।

अधिशायी अभियन्ता,  
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,  
नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक:- 863-65

दिनांक:- 10/6/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, वृत्त- भरतपुर ।
2. सहायक अभियन्ता (पूर्व), जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, शहर उपखण्ड, भरतपुर।

अधिशायी अभियन्ता,  
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,  
नगर खण्ड, भरतपुर

EE/PHED/DIV/ 3300  
The Chief Engineer cum Regional Officer  
Ministry of Road Transport and Highways  
Regional Office DCM  
Ajmer Road Jaipur ( Raj.) 302019

Date. 14/11/19

REQUEST FOR NOC


1. It is intimated that main water pipeline from Mallah Pump House up to Sewar Tiraha yet to be laid under .....AMN Depo where pipe is coming under National Highway 21 (Agra-Jaipur). Hence there is requirement to divert pipe line along with NH and across the National Highway.
2. It is further certified that the ROW charges as per existing policy on actual basis will be paid if applicable
3. You are hereby requested to issue necessary Right of Way (ROW) to the Executive Engineer PHED Div. Bharatpur. Laying of DI Pipe 300mm dia shall be laid along with NH 21 Mallah Pump House to Sewar Tiraha chainage 56.375 Km. to 60.795 Km. (total 4.42 Km) and one road crossing at Chainage 60.795 Km.
4. Being a water supply project there about .....25000 souls are suffering for want of water, it is requested that ROW clearance may please be given expeditiously
5. The following documents are enclosed herewith for your further necessary action please.
  - a. Check List
  - b. Agreement on Rs. 500/- Stamp Paper
  - c. Affidavit on Rs. 100/- Stamp Paper
  - d. Undertaking on Rs. 100/- Stamp Paper
  - e. Drgs for proposed pipe line
  - f. DLC Rates

MW 48  
सहायक अभियन्ता (पूर्व)  
जन० स्वा० अभि० विभाग  
शहर उपखण्ड, भरतपुर  
डी० डी० ओ० कोड-२३४९

MW 48  
अधिशाषी अभियन्ता  
जन स्वा० अभि० विभाग  
नगर खण्ड, भरतपुर  
कोड संख्या-12373

Executive Engineer  
PHED Division.  
Bharatpur-12373





भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

**National Highways Authority of India**  
(Ministry of Road Transport & Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दौसा

87, गंगा विहार कॉलोनी, होटल रावत पैलेस के पीछे, दौसा - 303303 (राज.)

Project Implementation Unit Dausa

87, Ganga Vihar Colony Behind Hotel Rawat Palace, Dausa-303303 (Raj.)


No. 23011/20/PIU/DAU/NOC/WP/4581

Highway Administrator cum Regional Officer,  
Ministry of Road Transport & Highways.

DCM, Ajmer Road,

Jaipur - 302019 (Raj.)

वेब / ईमेल : [dau.nhai.org](http://dau.nhai.org)



भारतमाला  
प्रगति के पथ पर अग्रसर

Date: 09.06.2020

Sub.: Permission for laying pipeline from old Mallah Pump House-Sewar Tiraha (Bharatpur) Ch. 56.375 Km. to 60.795 Km. total length 4.42 Km. and one crossing at Ch. 60.795 Km. on NH-21 (old NH-11) in the State of Rajasthan.

Ref.: 1. IE letter no. FPI/BTP/O&M/IE/04/2020/1366 dated 13.02.2020.  
2. Your letter no. RW/JAI/PS/UTILITY/2019/385/580 dated 03.02.2020.

Sir,

This has reference to your letter vide which you have requested to examine proposal of Permission for laying pipeline from old Mallah Pump House-Sewar Tiraha (Bharatpur) Ch. 56.375 Km. to 60.795 Km. total length 4.42 Km. and one crossing at Ch. 60.795 Km. on NH-21 (old NH-11) in the State of Rajasthan.

The proposal has been examined by Independent Engineer. IE submitted that:

1. Checklist submitted by the applicant has been checked & verified at site.
2. Applicant shall laid 300mm dia DI water pipeline in between Km. 56+375 to Km. 60+3795 (LHS) by trench method.
3. Applicant shall cross the water pipeline at Ch. 60+795 through HDD method.
4. Methodology & Cross section of crossing through HDD method has been enclosed.
5. Applicant shall laid pipeline at the extreme edge of ROW.
6. Applicant has enclosed agreement along with required under taking.

The proposal is examined in this office and found in order. The check list of the proposal is duly signed for your needful action. The License fee for utilization of NH land, calculated as per MoRT&H guideline vide circular dated 22.11.2016 Rs. 3,61,495/- with prevailing DLC rate (copy enclosed.) The performance Bank Guarantee @ Rs 100/- per rout meter/Rs per sqm. with validity of one year initially is to be furnished by the licensee to the Authority/as designated agency as security. The total land to be used by the user agency is 4420 meter as such bank guarantee of Rs. 4,42,000/- along with Rs. 1,00,000/- for one no. crossing totaling to Rs. 5,42,000 is to be furnished by the user agency.

In view of the above, the above proposal is recommended under the condition of taking NOC from forest department by PHED before execution of work. it is hereby submitted for your kind necessary action please.

Yours sincerely

  
(Y. B. Singh)

Project Director  
NHA, PIU-Dausa

Encl.: Original proposal (2 set)

Copy to:

1. Chief General Manager (T), RO, NHA, Jaipur for information please.
2. SE, PHED, Bharatpur for information.

## जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक :- 857-59

दिनोंक :- 10/6/2020

श्रीमान उप वन संक्षक,  
वन विभाग, भरतपुर ।

विषय :- मलाह हैड वर्क्स से सेवर फोर्ट एवं सेवर फोर्ट से डिपो एरिया,  
कंजौली लाइन एम्युशन डिपो तक डीआई पाइप लाइन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त पाइप लाइन बदलने के कार्य से पूर्व में लाभान्वित एमईएस के कर्मचारी/अधिकारी का कार्यालय व आवासीय परिसर एवं आयुध भंडारण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति किया जाना है। अतः कंजौली लाइन व सेवरफोर्ट में एम.ई.एस. व एम्युशन डिपो में ही पेयजल वितरित किया जावेगा। जो कि पूर्व में डाली गयी पुरानी पाइप लाइन को ही बदलना प्रस्तावित है।

अधिशायी अभियन्ता,

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,  
नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक:-

857-59

दिनोंक:- 10/6/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, वृत्त- भरतपुर ।
2. सहायक अभियन्ता (पूर्व), जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, शहर उपखण्ड, भरतपुर ।

अधिशायी अभियन्ता,

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग  
नगर खण्ड, भरतपुर

## जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक :- 860-62

दिनांक :- 10/6/2020

श्रीमान उप वन संरक्षक (वन्य जीव),  
केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर ।

विषय :- मलाह हैड वर्क्स से सेवर फोर्ट एवं सेवर फोर्ट से डिपो एरिया,  
कंजौली लाइन एम्प्लूशन डिपो तक डीआई पाइप लाइन बाबत ।  
NH-21 in LHS (56.375 KM to 60.795 KM)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि NH-21 in LHS (56.375 KM to 60.795 KM) तक मलाह हैड वर्क्स से सेवर फोर्ट तक पाइप लाइन बदलने का कार्य किया जा रहा है। जिसके लिये वन विभाग की अनापत्ति हेतु आवेदन किया हुआ है।

अतः श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय भरतपुर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट ESZ में आता है या नहीं कि पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु लिखा है। अतः आप कृपया उक्त प्रोजेक्ट ESZ में आता है या नहीं की पुष्टि का प्रमाणित दस्तावेज दिलवाने की कृपा करें। जिससे श्रीमान उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा आक्षेप को दूर किया जा सके।

अधिशायी अभियन्ता,

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,  
नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक:- 860-62

दिनांक:- 10/6/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, वृत्त- भरतपुर ।
2. सहायक अभियन्ता (पूर्व), जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, शहर उपखण्ड, भरतपुर।

अधिशायी अभियन्ता,

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग  
नगर खण्ड, भरतपुर

जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक :- 866-68

दिनांक :- 10/6/2020

✓ श्रीमान जिला कलक्टर,  
भरतपुर ।

विषय :- मलाह हैड वर्क्स से सेवर फोर्ट एवं सेवर फोर्ट से डिपो एरिया,  
कंजौली लाइन एम्यूशन डिपो तक डीआई पाइप लाइन हेतु वन  
विभाग की एन.ओ.सी. बाबत।

सन्दर्भ :- आपका ऑनलाइन आक्षेप दिनांक 5.6.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एन.एच.21 (आगरा जयपुर राजकीय राज्यमार्ग) के बाहरी तरफ के.एम. 56.375 केएम से 60.795 केएम (कुल 4.42 केएम) डीआई पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है। इसके लिये वन विभाग की अनापत्ति हेतु आवेदन किया हुआ है।

वन विभाग से अनापत्ति हेतु उक्त क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुरा <sup>प्रमाण</sup> क्षेत्र FRA (वनाधिकार) प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें।

अधिशायी अभियन्ता,  
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,  
नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक:- 866-68

दिनांक:- 10/6/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, वृत्त- भरतपुर ।
2. सहायक अभियन्ता (पूर्व), जन स्वास्थ्य अभि०विभाग, शहर उपखण्ड, भरतपुर ।

अधिशायी अभियन्ता,  
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,  
नगर खण्ड, भरतपुर